भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1107
****
गुरूवार, 8 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कोहरे के कारण उड़ानें रद्द होना

1107. कुंवर दानिश अलीः
श्री सु. थिरुनवुक्करासरः
श्री मनोज तिवारीः
डॉ. निशिकांत दुबेः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान सर्दी के मौसम के दौरान घने कोहरे के कारण सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की विभिन्न विमान कंपनियों की बड़ी संख्या में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में विलंब हो रहा है/उन्हें रद्द कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सर्दियों के दौरान कोहरे के कारण उड़ानों में व्यवधान को गंभीरता से लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप विभिन्न विमान कंपनियों को पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विमान कंपनी-वार कितना घाटा उठाना पड़ा है;

(घ) क्या घने कोहरे के दौरान विमान को उतारने के लिए प्रशिक्षित पायलटों की अनुपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में दिल्ली जाने वाली उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया था और यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान अब तक विमानपत्तन-वार कुल कितने यात्री अत्यधिक प्रभावित हुए हैं;

(ङ) क्या देश में ऐसे प्रशिक्षित पायलटों की कमी है जो कोहरे की स्थिति में विमान उड़ा सकते है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) घने कोहरे की स्थिति के दौरान विभिन्न विमान कंपनियों को उड़ान भरने और विमान उतारने में आ रही समस्याओं को दूर करने/कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(छ) वर्तमान में देश में किन-किन विमानपत्तनों पर सीएटी-।।। बी प्रणाली संस्थापित की गई है; और

(ज) सर्दियों के दौरान कोहरे के कारण उड़ानों के रद्द होने/विलंब/मार्ग परिवर्तन को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क): जी हाँ, जनवरी, 2024 के दौरान विलंबित तथा रद्द की गयी उड़ानों की कुल संख्या क्रमशः 8038 एवं 496 है।

(ख): उड़ानों के निर्बाध परिचालन हेतु, कोहरे की अवधि शुरू होने से पहले नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) सभी हितधारकों के साथ कोहरे/कम दृश्यता में परिचालन की तैयारी के संबंध में बैठक आयोजित करता है और नागर विमानन अपेक्षाओं(सीएआर) / परिपत्रों एवं बैठक के कार्यवृत्त के रूप में समय-समय पर अनुदेश जारी करता है।

डीजीसीए ने मैसर्स स्पाइस जेट तथा मैसर्स एअर इंडिया, पर 30-30 लाख रुपए का वित्तीय जुर्माना लगाया था, क्योंकि उन्होनें कम दृश्यता और कोहरे में परिचालन की तैयारी पर एयरलाइनों को 'पायलटों की रोस्टरिंग' के संबंध में जारी किए गए निदेशों का पालन नहीं किया था तथा सीएआर खंड 8, श्रृंखला सी, भाग 1 के पैरा 4.4(ख) और एआईसी 11/2009 के पैरा 13 का उल्लंघन भी किया था।

(ग): कोहरे के दौरान उड़ान में व्यवधान के कारण विभिन्न एयरलाइनों को हुए नुकसान का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(घ): कम दृश्यता में परिचालन के लिए क्रू के योग्य नहीं होने के कारण, दिल्ली आने वाली उड़ानों को डायवर्ट किया गया था। तथापि, गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ङ): कैट-III के लिए प्रशिक्षित पायलटों की संख्या में अक्टूबर 2023 की तुलना में 16% वृद्धि देखी गई है। दिसंबर 2023 तक, कुल 6191 पायलट (3744 पी1/पीआईसी (पायलट-इन-कमांड) और 2447 पी2 (सह-पायलट) को कैट-II और कैट-III परिचालन के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

(च): डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों को निदेश दिया है कि वे प्रत्येक मेट्रो हवाईअड्डे पर आपातकालीन नियंत्रण कक्ष (वॉर रूम) शुरू करें, जिसमें शीर्ष प्रबंधक शामिल हों, जो शीघ्र निर्णय लेने तथा किसी भी यात्री की शिकायत सहित किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति को कम से कम समय में संभालने, विमान की इष्टतम आवाजाही के लिए तत्काल कदम उठाने, तथा अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में प्रभावित यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत हों।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने विभिन्न हवाईअड्डों पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) की विभिन्न श्रेणियां लागू की हैं। 06 मेट्रो हवाईअड्डों पर सभी रनवे को सुसज्जित करने की व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति पर है।

(छ): भारत में कुल 6 हवाईअड्डे हैं, जिनके रनवे कैट-III परिचालन के लिए प्रमाणित हैं।

(i) इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, नई दिल्ली

(ii) चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, लखनऊ

(iii) जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा

(iv) श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अमृतसर

(v) नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता

(vi) केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बेंगलुरु

(ज): डीजीसीए ने विनियम जारी किए हैं, जो प्रचालकों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करते हैं कि उड़ान के सभी कर्मी दल टेक-ऑफ, इन्स्ट्रुमेंट अप्रोच और न्यूनतम कैट-I/II/III मिनीमा के लिए योग्य होने चाहिए।

******